पत्र पेश

सहायक कलेक्टर गुड़ामालानी

06/06/23

पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों से वकील प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दिनांक 05/06/23 को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति के जरिये पत्र एवं विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में जरिये पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिये मौके पर भूमि धारक तहसीलदार नहीं आए है अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा तैयार किया गया है, आगे कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव भू.अ. निरीक्षक व पटवारी द्वारा तैयार किया गया है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 व उनके परिवार के सदस्यों को सूचित नहीं किया गया है एक तरफा वादीगण के कहे अनुसार तैयार कर पेश किया गया है, यह भी कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 की रहवासी ढाणी व टांके को वादीगण के लिये प्रस्तावित कर दिया है, वादीगण को उपजाऊ व समतल एवं प्रतिवादी सं. 1 के कब्जे काश्त की भूमि को प्रस्तावित किया है एवं उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने में राजस्व नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है ऐसी

सहायक कलेक्टर गुड़ामालानी

तारीख हुक्म	
	स्थिति में इसका विभाजन प्रस्ताव के आधार पर कोई डिक्री जारित नहीं हो जा सकती अतः राजस्व नियम 18 के 21 की पालना कराते हुए तहसीलदार रवीन्द्र से विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगाया गया। प्रतिवादी की बहस वकील वादीगण द्वारा करते हुए जिन्होंने बहस का खण्डन करते हुए प्रतिवादीगण नाहक में कथन किया कि प्रतिवादीगण लम्बित करके वादीगण के प्रकरण को लम्बित पर जानबूझ की नीयत से विभाजन प्रस्ताव पर रवीन्द्र कर रहे हैं। भूमि धारक तहसीलदार दोनों पक्षों के मौके पर उपस्थित रहकर प्रस्ताव के पक्षकारों के समक्ष विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है प्रतिवादी समक्ष बकाया विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय उपस्थित रहा है प्रतिवादी की जहाँ प्रतिवादी की खातेदारी बनी है जहाँ प्रतिवादी का कब्जा काश्त है वही भूमि प्रस्तावित की गई है। प्रतिवादी ने अपने हिस्से से अधिक की भूमि पर कब्जा कर रखा है तथा वादीगण की भूमि को हड़पने की नीयत से वादीगण का बँटवारा नहीं होने दे रहा है। वादीगण ने यह वाद पत्र 28/5/22 को यह वाद पत्र बँटवारा कराने के लिए पेश किया, विधिवत प्रतिवादी को डाक द्वारा समन प्राप्त हुआ। प्रतिवादी जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से लगातार तीन माह तक प्रतिवादी का इन्तजार करने के पश्चात न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध एक

सहायक कलक्टर, गुढ़ामालानी

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
तरमीम कार्यवाही की गई। दिनांक 12/09/22 को अंतिम प्राथमिक डिक्री व वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जा प्रमाण अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रतिवादी ने जानबूझकर प्राथमिक डिक्री अपास्त करने हेतु प्रतिवादी के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही को मंसूख करने का प्रार्थना पत्र O9 R-7 एवं O9 R-13 CPC के पेश किये जो न्यायालय द्वारा पोषणीय नहीं होने से खारिज किये गये तथा यह तथ्य स्पष्ट किया कि यदि प्रतिवादी को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति हो तो आपत्ति पेश कर सकते हैं परन्तु प्रतिवादी द्वारा 12/9/22 से 5/6/23 तक 9 माह का लम्बा अन्तराल गुजर जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति विभाजन प्रस्ताव पर पेश नहीं कि अब अन्तिम बहस के वक्त यह प्रार्थना पत्र आपत्ति का पेश किया है जो जानबूझकर वादीगण के प्रकरण और अधिक लम्बित करने की नीयत से पेश किया है जो मय खर्चा खारिज फरमाते हुए मालिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जावे। इसके दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत विभाजन [signature] सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
	तथ्य पत्रावली का गहराई से प्रस्ताव अध्ययन किया गया। अवलोकन अध्ययन करने से यह प्रकरण का अवलोकन करने से प्रतिवादी तथ्य सामने आया है कि को लम्बित ने वादीगण के वाद पत्र काफी अधिक करने में न्यायालय का समय व्यतीत किया है। विचाराधीन प्रस्ताव प्राप्त होने की दिनांक 12/09/22 को प्रतिवादी की जानकारी होने पर न्यायालय के जरिये अधिवक्ता जवाब पत्र 09 R-7 एवं 09.R-13 CPC के पेश किये जिनका निस्तारण दिनांक 19/12/22 को प्रतिवादी को विचाराधीन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने की छूट देते हुए निस्तारण कर दिया गया था, परन्तु प्रतिवादी द्वारा विचाराधीन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गयी दिनांक 05/06/23 तक लगातार हर पेशी पर विचाराधीन प्रस्ताव पर अन्तिम बहस के लिए अवसर-पर-अवसर लेते रहे। लगभग छः माह तक विचाराधीन पर पर अन्तिम अवसर लेने के पश्चात अब यह आपत्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया है इससे यह साफ जाहिर होता है कि प्रतिवादी वादीगण के वाद पत्र को जानबूझकर लम्बित कर रहा है। आज्ञा धारक तहसीलदार गुडामालानी

सहायक कलेक्टर, गुडामालानी

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन अध्ययन से इस बात की भी पुष्टि होती है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार स्वैच्छा द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण की मौजूदगी में तैयार किया गया है दोनों पक्षों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया विभाजन प्रस्ताव में जिन व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया उन व्यक्तियों के नाम की सूची के क्रम सं. 3 पर प्रतिवादी किशनाराम का नाम अंकित है इससे यह स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त प्रतिवादी किशनाराम मौके पर हाजिर था। रहा परिवार के सदस्यों का प्रश्न तो वादीगण व प्रतिवादी सगे भाई हैं तथा दोनों का परिवार एक ही है। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के एक तरफा तैयार किया जाना होना कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है। तहसीलदार स्वैच्छ की मौजूदगी में उपस्थित पक्षकारों की मौजूदगी में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना कर नियम 18 से 21 के अनुसार ही तैयार किया जाना प्रतीत होता है अतः प्रतिवादी सं. 1 की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति का यह आधार	

सहायक कलेक्टर, [illegible]

पत्र जानकारीनुसार कर आवेदक ने
वाद पत्र की कार्यवाही करने की इच्छा
के अनुरूप पेश किया जाना प्रतीत
होने से अस्वीकार कर खारिज किया
जाता है विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार
द्वारा राजस्व नियम 18 से 21 की
पालना करते हुए तैयार कर प्रस्तावित
होने के पश्चात आवेदक द्वारा विभाजन प्रस्ताव
स्वीकार कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम
डिक्री किये जाने का निवेदन किया।
अतः मैं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा
ग्राम देवलियार के खेत ख.नं. 211, 78, 79
रकबा क्रमशः 13.4194, 0.0162, 2.4281 हे० भूमि
का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव
विवरणानुसार स्वीकार किया जाता है

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म	लगान	कलर
1.	सिमरथा पुत्र फुका उर्फ फुसाराम जाति जाट ख. हेद खातेदार	211	1.9830	बा० को०	0.57	लाल
2	केशाराम पुत्र फुका उर्फ फुसाराम 3/14 जसीदेवी पत्नी जोगेन्द्रकुमार 1/7 जितेन्द्र कुमार पुत्र फुका उर्फ फुसाराम 3/14 इन्द्राराम पुत्र फुका उर्फ फुसाराम 3/14 नरसिंगाराम पुत्र फुका उर्फ फुसाराम 3/14 जाति जाट सा० हेद खातेदार	211 78 79 3	11.4364 0.0162 2.4281 13.8807	बा.को. गै.मु. बा.के. —	3.32 — 0.70 4.02	हरा

अतः धारक तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार अमलदरामद कर अलग-अलग खाता नम्बर अंकित किया जावें। संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इसी प्रकार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली निर्णय मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड कलक्टर गुड़ामालानी

डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी
व इजलास **श्री रामजी भाई कलबी** आर.ए.एस.

वादीगण

1. दुदाराम पुत्र फुआ उर्फ फुसाराम
2. केशाराम पुत्र फुआ उर्फ फुसाराम
3. जितेन्द्रकुमार पुत्र फुआ उर्फ फुसाराम
4. नरसिंगाराम पुत्र फुआ उर्फ फुसाराम
5. जसीदेवी पत्नी जोगेन्द्रकुमार
   जाति जाट निवासी देवलनगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सिमरथाराम पुत्र फुआ उर्फ फुसाराम
   जाति जाट निवासी देवलनगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. भूमिपति जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

दावा बाबत :- 53, 188 RTA
मुकदमा नम्बर :– 42/2022

निर्णय दिनांक :– 6/6/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई व डालूराम चौधरी मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा ग्राम देवलनगर के खेत खसरा नम्बर 211, 78, 79 रकबा कमशः 13.4194, 0. 0162, 2.4281 हैक्टेयर भूमि का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव, माफिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम ड्रिकी पारित की जाती है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	बरंग
1	सिमरथाराम पुत्र फुआ उर्फ फुसाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	211	1.9830	बा.सो.	0.57	लाल
2	केशाराम पुत्र फुआ उर्फ फुसाराम 3/14 जसीदेवी पत्नी जोगेन्द्रकुमार 1/7 जितेन्द्रकुमार पुत्र फुआ उर्फ फुसाराम 3/14 दूदाराम पुत्र फुआ उर्फ फुसाराम 3/14 नरसिंगाराम पुत्र फुआ उर्फ फुसाराम 3/14 जाति जाट सा. देह खातेदार	211 78 79	11.4364 0.0162 2.4281	बा.सो. गे.मु. बा.सो.	3.32 – 0.70	हरा
		3	13.8807	–	4.02	

भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार अमल दरामद कर अलग अलग खाता नम्बर अंकित किया जावे। संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 6/6/23 को जारी की गई।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुड़ामालानी

दिनांक : 7/6/23

क्रमांकः वाचक/2023/566
प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।
1. भूमिधारक तहसीलदार, गुड़ामालानी।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुड़ामालानी